

प्रपत्र-45

परियोजना का नाम:- कखीमठ नगर पंचायत पेयजल योजना

लीज अवधि का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना हेतु प्रस्तावित वन भूमि .....  
वर्षों की लीज पर ली जानी प्रस्तावित है।

लाशु नई

  
वन क्षेत्राधिकारी,  
अगस्त्यमुनि

उप वन संरक्षण  
रुद्रप्रयाग विकास प्रभाग  
रुद्रप्रयाग

ह0/-  
प्रयोक्ता एजेन्सी  
Executive Engineer  
Const. Division  
Uttarakhand Peyjal Sanshadhan Vikash  
Evam Nirman Nigam, Rudraprayag

नोट :- उक्त प्रमाण-पत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा निर्गत किया जायेगा। उक्त प्रमाण-पत्र  
नई लीजों व कालातीत लीजों के नवीनीकरण हेतु प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जायेगा।

प्रपत्र-46

परियोजना का नाम:- कखीमठ नगर पंचायत पेयजल योजना

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन न होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि  
पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं हुआ है।

  
उप वन संरक्षण  
रुद्रप्रयाग विकास प्रभाग  
रुद्रप्रयाग  
वन क्षेत्राधिकारी,  
अगस्त्यमुनि

ह0  
प्रयोक्ता एजेन्सी  
Executive Engineer  
Const. Division  
Uttarakhand Peyjal Sanshadhan Vikash  
Evam Nirman Nigam, Rudraprayag

नोट :- उक्त प्रमाण-पत्र प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्गत किया जायेगा।